कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,गुना (म.प्र.)

गुना,दिनांक 06.09.2024

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय के समस्त नियमित विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उच्चशिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल द्वारा आई.आई.टी. दिल्ली के सहयोग से दो सर्टिफिकेट कोर्स(आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस एवं फिनटेक विथ आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस) इस महाविद्यालय में प्रारंभ किये जा रहे हैं जिनमें 8–8 सीटें उपलब्ध हैं। उच्चशिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों की चयन परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा में मेरिट के आधार पर उक्त सर्टिफिकेट कोर्सों में प्रवेश दिया जायेगा।

कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में प्रवेशित छात्र दिनांक 12.09.2024 तक डॉ.रिचा जैन के पास गणित विभाग में अपनी प्रवेश रसीद की छायाप्रति जमा करें।

(डॉ.बी.के.तिवारी)
प्राचार्य 6/9/2024
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,गुना

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक–1325 / 2125974 / 2024 / 38–2., भोपाल, दिनांक– 21 / 08 / 2024

प्रति,

प्राचार्य,

1– समस्त प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, मध्यप्रदेश।

2– समस्त शासकीय स्वशासी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषयः–आई.आई.टी. दिल्ली के सहयोग से दो सर्टिफिकेट कोर्स के संचालन हेतु दिशा–निर्देश।

––00––

प्रदेश में 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एवं 13 शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में आई.आई.टी. दिल्ली के सहयोग से दो सर्टिफिकेट कोर्स (आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस तथा फिनटेक विथ आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस) का संचालन किया जाना है।

2. उपरोक्त सर्टिफिकेट कोर्स के संचालन आदि के संबंध में निम्नानुसार विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

I. प्रत्येक सर्टिफिकेट कोर्स हेतु महाविद्यालय में आठ–आठ सीटें उपलब्ध रहेंगी।

II. उक्त दोनों सर्टिफिकेट कोर्स निःशुल्क रहेंगे केवल चयनित विद्यार्थियों से राशि रू. 1,000/–(एक हजार रूपये मात्र) सुरक्षा निधि के रूप में ऑनलाईन लिये जाएँगे, **जिसे पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर वापस किया जायेगा।**

III. उक्त दोनों सर्टिफिकेट कोर्स 90 घंटे की अवधि के होंगे।

IV. प्रवेश चयन प्रक्रिया परीक्षा के आधार पर किया जावेगा।

V. प्रवेश चयन प्रक्रिया के मापदण्ड विभाग द्वारा तैयार किए जाएगें।

VI. चयन उपरांत विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल् के माध्यम से पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

VII. परीक्षा का आयोजन संबंधित महाविद्यालयों में ही किया जावेगा।

VIII. परीक्षा संबंधी मूल्यांकन महाविद्यालय स्तर पर ही किया जावेगा।

IX. मेरिट सूची का प्रकाशन संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जावेगा।

3. सर्टिफिकेट कोर्स के संचालन हेतु महाविद्यालय में निम्नानुसार व्यवस्था होना चाहिए :–

I. एक कम्प्यूटर कक्ष –न्यूनतम 20 कम्प्यूटर एंटीवायरस के साथ।

II. एक 32 इंच का न्यूनतम एल.ई.डी. डिस्प्ले–कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर आदि के साथ।

III. लैपटॉप/डेस्कटॉप के स्पेसिफिकेशन –

अ) Intel Core-i5 या AMD 5 Ryzen

ब) रैम – 8/16 जीबी

स) इंटरनेट कनेक्टिविटी 50 एमबीपीएस या उच्चतर

द) कैमरा, स्पीकर और माइक्रोफोन की उपलब्धता

य) वीडियो चलाने के लिए बेसिक ग्राफ़िक कार्ड

र) Google chrome@Edge

4. कक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालय के एक प्राध्यापक को नोडल अधिकारी नामित किया जाए। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर सूचना पटल पर लगाया जाए।

5. उक्त दोनों सर्टिफिकेट कोर्स के लिए निर्धारित समय सारणी का पालन सुनिश्चित किया जाए।

6. महाविद्यालयो में संचालित किए जाने वाले आई.आई.टी. दिल्ली के आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस तथा फिनटेक विथ आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस के सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार दैनिक समाचार पत्रों, फ्लैक्स, मीडिया एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें।

उक्त पाठ्यक्रमों की सफलतापूर्वक संचालित करने संबंधी यथोचित कार्यवाही एवं आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की जाए।

21-8-24

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

–––3.

पृ. कमांक–1326 / 2125974 / 2024 / 38–2 भोपाल, दिनांक– 21 / 08 / 2024.

प्रतिलिपि :–

1– विशेष सहायक, माननीय् मंत्री जी, उच्च शिक्षा, भोपाल (म.प्र.)।

2– स्टॉफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

3– आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)।

4– कुल सचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, म.प्र.।

5– समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।

6–समस्त प्राचार्य, प्रधान मंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एवं शासकीय स्वशासी महाविद्यालय,म.प्र।

7– प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर "वेबसाइट" पर अपलोड करने हेतु।

–––की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

21-8-24

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग